

प्रेसनोट दिनांक 21.09.2023

1. दिनांक 20.09.2023 को वादी उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जियालाल पुत्र मुन्नीलाल नि० आशापुर थाना को०अयोध्या अयोध्या आदि 03 नफर सभी गिर० अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफ़ड़ व जामातलाशी से 540 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 635/23 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 20.09.2023 को वादी उ०नि० श्री सत्यनरायण सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अंजनी कुमार पाण्डेय पुत्र रवीन्द्र कुमार पाण्डेय नि० मिश्रीरपुर बहरिया थाना मान्धाता प्रतापगढ़।गिर० अभि० छात्राओं/महिलाओं को देखकर अमर्यादित गाना गाना तथा अश्लील हरकत करना। संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 539/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 20.09.2023 को वादी उ०नि० श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मुकेश पुत्र सोहन लाल गुप्ता नि० परसपुर हथिगव थाना हैदरगंज अयोध्या।गिर० अभि० छात्राओं/महिलाओं को देखकर अमर्यादित गाना गाना तथा अश्लील हरकत करना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 188/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 20.09.2023 को वादी उ०नि० श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संजय चतुर्वेदी उर्फ सत्या पंडित पुत्र सर्वादीन चतुर्वेदी नि० अछोरा पूरे गुलजार थाना इनायतनगर अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 423/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 20.09.2023 को वादी उ०नि० श्री सुधीर कुमार थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दिनेश पुत्र स्व० कलसे नि० बंधवा थाना बाबा बाजार अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना।जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 204/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 20.09.2023 को वादी मु०आरक्षी मो० फारुख थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नदीम पुत्र वसीम नि० पकड़िया गांव थाना मवई अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 143/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।